हरियाणा पुलिस में बैंड स्टाफ के लिए कॉंस्टेबलों (पुरुष) की भर्ती

हरियाणा पुलिस में बैंड स्टाफ के अस्थायी कॉंस्टेबलों के 22 पद चयन बोर्ड के द्वारा भरे जाने हैं। चयनित उम्मीदवार सामान्य भत्तों के साथ 21700-69100-लेवल-3 सेल-I के सकेल में वेतन के लिए अधिकृत होंगे। एतद्द्वारा वेब/यूआरएल पते **www.haryanapolice.gov.in** के जरिये 05.12.2022 से 20.12.2022 को रात्रि 11.59 बजे तक पुलिस विभाग के ग्रुप सी के 22 पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इसके बाद वेबसाईट लिंक डिस्एबल हो जाएगा।

1. पदों एवं योग्यता का विवरण :

ब्रास बैंड कॉंस्टेबल (पुरुष) के 11 पद
(Gen-5, SC-2, BCA-1, BCB-1, EWS-1, ESM GEN-1)

पाईप बैंड कॉंस्टेबल (पुरुष) के 11 पद
(Gen-5, SC-2, BCA-1, BCB-1, EWS-1, ESM GEN-1)

शैक्षणिक योग्यता :

(i) उम्मीद्वार के पास मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 10+2 उत्तीर्ण या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, जोकि सभी वर्गों पर लागू होगी।

(ii) दसवीं हिन्दी या संस्कृत के एक विषय के साथ अथवा उच्चतर योग्यता।

(iiii) शारीरिक मानक परीक्षा :

बैंड स्टाफ (पुरुष कॉंस्टेबल)	कद	छाती
	जनरल श्रेणी हेतु 170 सेंटीमीटर	83 सेंटीमीटर (बिना फुलाब) से 87 सेंटीमीटर (फैलाव के साथ) 04 सेंटीमीटर (न्यूनतम) के विस्तार के साथ।
	नवीनतम मौजूदा सरकारी आरक्षण नीति के अनुसार योग्य आरक्षित श्रेणी हेतु 168 सेंटीमीटर।	81 सेंटीमीटर (बिना फुलाब) से 85 सेंटीमीटर (फैलाव के साथ) 04 सेंटीमीटर (न्यूनतम) के विस्तार के साथ।

नोट : शारीरिक मानक परीक्षा केवल क्वालीफाईंग प्रकृति की होगी।

आयु : 18-25 वर्ष (माह के पहले दिन, जिसमें बैंड स्टाफ के अस्थायी कॉंस्टेबल की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित है अर्थात् 01.12.2022)

नोट : (i) पूर्व-सैनिकों हेतु : डिस्चार्ज की तिथि के तथा माह के पहले दिन (अर्थात् 01.12.2022) के मध्य ब्रेक इन सर्विस, जिसमें एनरोलमेंट प्रक्रिया आरंभ हुई, यह हरियाणा राज्य में लागू अनुसार पंजाब पुलिस नियमावली, 1934 के नियम 12.24 (आई)(सी) के अनुसार चार वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से सबंधित उम्मीद्वारों हेतु 05 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार दी जाएगी।

2. फीस विवरण :

क्रम सं.	जनरल	केवल हरियाणा राज्य के एससी/बीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीद्वार	हरियाणा के पूर्व-सैनिक
1	100/-	25	निल

(i) ईएसएम व डीएफएफ के आश्रितों को जनरल, एससी, बीसीए या बीसीबी उम्मीद्वारों को, जैसा भी मामला हो, फीस का भुगतान करना होगा।

(ii) आवेदन फॉर्म के प्रति एक बार जमा कराई गई फीस न तो हस्तांतरणीय है अथवा न ही यह प्रतिदेय/समायोजय है

(iii) यह फीस पेमेंट साईट पर उपलब्ध ऑनलाईन मोड् के जरिये ही जमा कराई जाएगी।

3. चयन, हेतु मानदंड, परीक्षा एवं पाठ्यक्रम :-

(ए) नॉलेज टेस्ट (20अंक) : सभी उम्मीद्वारों को केवल 20 अंकों के नॉलेज टेस्ट (केटी) से गुजरना होगा और नॉलेज टेस्ट में अधिकतर सामान्य ज्ञान, म्यूजिकल/बैंड यंत्रों के रख-रखाव का प्रबंधन के बारे में प्रश्न निहित होंगे। प्रश्नों का स्टैंडर्ड मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 10+2 उत्तीर्ण हुए एक शिक्षित व्यक्ति के अनुरूप होगा। गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा का माध्य द्विभाषी अर्थात् हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में होगा। नॉलेज टेस्ट में प्रत्येक 0.80 अंक के 25 प्रश्न वस्तुनिष्ट (ऑब्जेक्टिव टाईप) होंगे और टेस्ट की अवधि 25 मिनट की होगी।

(बी) फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) : इस परीक्षा हेतु निर्धारित मानक निम्नानुसार होंगे :-

उम्मीदवार	टेस्ट डिस्टेंस	क्वालीफाईंग टाईम
1. पुरुष	2.5 किलोमीटर	12 मिनट
2. पूर्व-सैनिक	1.0 किलोमीटर	5 मिनट

नोट : आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन डिवाईस) या कोई अन्य सुपीरियर और विश्वसनीय टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल बोर्ड के विवेक पर इस टेस्ट के विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

(सी) बैंड स्किल टेस्ट (बीएसटी) : बैंड स्किल टेस्ट (बीएसटी) 60 अंक का होगा, इसमें उम्मीद्वारों की वाद्य यंत्र बनाने की दक्षता की जांच की जाएगी तथा बैंड स्टाफ में जॉब हेतु उनकी उपयुक्तता को परखने के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। उम्मीदवार के पास विशिष्ट वाद्य यंत्र को बजाने, म्यूजिक रीडिंग का ज्ञान होना चाहिए अथवा उसके पास स्वभाविक संगीत (फ्लेयर फॉर म्यूजिक) होना चाहिए।

4. शारीरिक माप परीक्षा (पीएमटी) :-

(i) उम्मीदवार जिसने शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षा क्वालिफाई किया है उसे हरियाणा पुलिस (गैर राजपत्रित एवं अन्य रैंक) सेवा नियमों, 2017 के परिशिष्ट-बी में निर्धारित मानकों अनुसार शारीरिक माप परीक्षा से गुजरना होगा।

(ii) शारीरिक माप परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को टैम्पर प्रूफ (छेड़छाड़ से मुक्त) बनाने हेतु जितना संभव होगा उतना न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष, स्टैंडर्ड डिजिटल माप उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि उम्मीद्वार डिजिटल डिसप्ले मॉनिटर पर अपना माप पढ़ सके।

(iii) शारीरिक माप परीक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी। बोर्ड इसे हरियाणा पुलिस की शासकीय वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।

(iv) उम्मीदवार जो शारीरिक माप परीक्षा हेतु निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा।

(V) केवल वही उम्मीदवार चयन की अगली प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे जो शारीरिक माप परीक्षा हेतु निर्धारित मानकों को पूरा करेंगे।

(5) अतिरिक्त योग्यता :- (10 प्रतिशत वेटेज)- वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन में निर्दिष्ट विवरणों अनुसार

(6) विविध (10 प्रतिशत वेटेज):- वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन में निर्दिष्ट विवरणों अनुसार

(7) आवेदन प्रपत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज :-

(i) आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं की स्कैन्ड प्रति अर्थात् : जन्म तिथि दर्शाने हेतु मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र 10+2 प्रमाणपत्र एवं अन्य संबद्ध विवरण।

(ii) अजा/बीसीए/बीसीबी/ईडब्ल्युएस/ईएसएम/डीईएसएम/डीएफएफ साथ में सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी हरियाणा अधिवासी प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति।

(iii) सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी हरियाणा अधिवासी प्रमाणपत्र सहित अनुभव एवं सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत वेटेज/अंक का दावा करते हुए प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति।

(iv) उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्तांतरित स्कैन्ड फोटो।

(v) उम्मीदवार के स्कैन्ड हस्ताक्षर

(vi) उच्च योग्यता अनुभव इत्यादि को दर्शाता सभी दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति जिसके आधार पर उम्मीदवार अंकों का दावा कर रहा है।

हस्ता/-
(पी.के. अग्रवाल)
पुलिस महानिदेशक, हरियाणा।

PRDH:-1084/11/1071/2023/14031/1/6 Dt. 28/11/2022